*34. [The questioner (SHRI ABDUL WAHAB) was absent]

Raising the strength of BSF and CRPF

*34. SHRI ABDUL WAHAB: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has decided to raise the strength of Border Security Force (BSF) and Central Reserve Police Force (CRPF);

(b) if so, whether the reservation of women, SC/ST/OBC and minorities have been fixed in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In 2009, the Government had decided to raise the strength of BSF by raising 29 additional battalions and of CRPF by 38 additional battalions in a phased manner. Raising has been completed for BSF Battalions. For CRPF, 22 Battalions have been raised so far.

(b) and (c) Reservation for SC/ST/OBC is applicable as per extant instructions of the Government. No reservation is prescribed for Minorities. With a view to enhance representation of women in CAPFs, it has been decided in January, 2016 to reserve 33% posts at Constable level to be filled up by women in CRPF and CISF to begin with and 14-15% posts at Constable level in border guarding forces *i.e.* BSF, SSB and ITBP.

MR. CHAIRMAN: The questioner is not present. Let the answer by given. Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA: Sir, my question is related to the first part of the answer. "In 2009, the Government had decided to raise the strength of BSF by raising 29 additional battalions and of CRPF by 38 additional battalions in a phased manner. Raising has been completed for BSF Battalions. For CRPF, 22 Battalions have been raised so far." This is the answer given to us. Sir, we had the opportunity to visit Indo-Bangladesh border and Indo-Pakistan border. In fact, in the Rajasthan sector of Indo-Pakistan border our jawans are working in extremely difficult weather conditions, extremely difficult social conditions, cut off from civilian life. We should understand their difficulties. The BSF, CRPF and all other paramilitary forces are very important...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI D. RAJA: ...for border management and internal security. As far as our *jawans* are concerned, they have a specific problem of stagnation. Sir, stagnation leads to stress and stress leads to several other complications in their life.

MR. CHAIRMAN: Mr. Raja, you are deviating from the main question.

SHRI D. RAJA: I am asking the question. The question is: They do not have any possibility of promotion.

MR. CHAIRMAN: But the question is about raising the forces!

SHRI D. RAJA: There are vacancies. As far as the Central Paramilitary Forces are concerned, we are told in one of the formal meetings of Home Committee that there are more than 56,000 vacancies and they have not been filled up. So, when there is such a huge backlog, there is stagnation.

MR. CHAIRMAN: All right. So, that is the question; fine.

SHRI D. RAJA: So, I would like to know from the hon. Minister what is the timeframe by which the Home Ministry will fill these vacancies.

MR. CHAIRMAN: Let that be answered.

SHRI D. RAJA: Otherwise, our forces will be demoralized. They do not see any future and stagnation is affecting their work and their living conditions.

MR. CHAIRMAN: No, no. You have raised a point. Let it be answered. Hon. Minister.

SHRI D. RAJA: The hon. Minister should come out with reply.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, as the hon. Member himself mentioned about the Government's decision to raise additional battalions, I would like to inform the House that the decision was taken in 2009 to raise the additional battalions for the BSF. And, all the 29 battalions have been raised. The remaining battalions are only relating to the CRPF. So, 16 CRPF battalions have to be raised and this will be completed by the year 2018-19. It means, target is set and it has been maintained each year. Yesterday only we had a meeting under the Chairmanship of the hon. Home Minister and we have decided to curtail the period to recruit jawans. Now, it takes 16-18 months which is too long. The process is very lengthy. So, we want to bring it to the level of one year, so that the process of recruitment and raising of additional battalions are carried forward and successfully done as per the commitment.

Besides the mention which the hon. Member has made about the border areas, the BSF has sent 21 proposals for additional battalions, because it has been given the mandate to guard new Integrated Check Posts. I can name all the check posts. They are : Attari in Punjab; Akhaura in Tripura; Petrapole, Hili and Chandrabangha

in West Bengal; Dawki in Meghalaya; Sutarkhandi in Assam; and, Kawarpuchiah in Mizoram. So, these are the additional ICPs which the BSF has to man. For that, the BSF has sent the proposal which we are looking into it.

श्री नारायण लाल पंचारियाः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश के BSF के जवान सीमा पर देश की रक्षा करते हुए आतंकवादियों से मुठभेड़ में जब शहीद हो जाते हैं, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि इन जवानों को भी 'शहीद' का दर्जा दिया जाए?

मान्यवर, बड़े ही खेद का विषय है कि आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जवान जब शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए लिख देते हैं, 'मारे गए कर्मी'। जब आतंकवादी मरते हैं, तो उनके लिए भी 'मारे गए' शब्द लिखे जाते हैं और जब हमारे जवान सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होते हैं, उनके लिए भी 'मारे गए' शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी कृपया यह बताएं कि क्या इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना हमने बंद कर दिया है? नम्बर दो...

श्री सभापतिः एक सवाल ही पूछिए।

श्री नारायण लाल पंचारियाः हमारे जवानों को 'शहीद' का दर्जा मिले, इसके लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है?

श्री सभापतिः देखिए, आपने जो बात उठाई है, यह बहुत ठीक है, मगर यह इस प्रश्न से जुड़ी हुई नहीं है।

श्री नारायण लाल पंचारियाः सर, यह BSF से संबंधित है।

श्री किरन रिजिजुः सभापति महोदय, आपने सही कहा है कि इसका इससे संबंध नहीं है, लेकिन हम सब भावनाओं से जुड़े हुए हैं। वैसे तो संविधान में या भारत सरकार द्वारा कोई नीतिगत officially 'शहीद' का दर्जा देने का provision नहीं है, लेकिन सेना हमारे जवानों में उत्साह प्रदान करने के लिए यह title देती है। वैसे गृह मंत्री जी ने भी announce किया था कि हम भी अपने तौर पर जो Central Armed Forces या Paramilitary Forces गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उनमें देश के प्रति सेवा करते हुए जो शहीद होते हैं, तो हम उनको 'शहीद' ही मानते हैं। यह अपने विचार की बात है। हम उन लोगों को सही तरीके से एक नाम देना चाहते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सभापति जी, प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, मैं उसके संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं अपना प्रश्न खास तौर से हिन्दी में इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि माननीय किरन रिजिजु जी इतनी मधुर हिन्दी बोलते हैं, इतनी स्वीट टोन में हिन्दी बोलते हैं कि सब को प्रभावित करते हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि आपने इस जवाब में यह बताया है कि जो reservation of SC/ST है, वह इन इंस्ट्रक्शन्स के हिसाब से एप्लिकेबल है। आपका यह उत्तर ठीक है। आपने इसमें आगे यह भी जवाब दिया है कि जहां तक 33 परसेंट कांस्टेबल लेवल की पोस्ट्स हैं, वे आपने for women in CRPF and CISF के लिए रिजर्व कर दी हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो विमेन के लिए 33 परसेंट का रिजर्वेशन किया है और SC/ST के लिए रिजर्वेशन के जो मानक हैं, क्या आप इसमें उन मानकों को रखेंगे? आप उनको रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, मेरा आपसे यह प्रश्न है।

श्री किरन रिजिजुः सभापति जी, यह बहुत ही अहम और हम लोगों के लिए बहुत जरूरी सवाल है कि हमारी जितनी भी रिक्रूटमेन्ट्स होती हैं, उनके लिए सरकार का विचार है कि जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, उनको उसमें दर्जा मिलना चाहिए। इसमें महिलाओं का भी मुद्दा है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। आपने अभी SC/ST और OBC का प्रश्न पूछा है, अभी हमारे पास जितनी भी central forces हैं, मैं आपको अभी उसके पूरे आंकड़े नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह बहुत लम्बी लिस्ट है, लेकिन किसी भी फोर्स में जितना रिजर्वेशन होना चाहिए था, वह उससे कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। यदि आप सारी फार्स की संख्या को देखें, SC/ST के रिजर्वेशन की संख्या देखें तो ST के लिए 7.5 परसेंट का रिजर्वेशन होता है, इसमें इससे कहीं ज्यादा है, इसी प्रकार से SC के लिए 15 परसेंट का रिजर्वेशन होता है, यह भी सभी फोर्स में ज्यादा ही है। यदि आप महिलाओं के आंकड़े जानना चाहेंगे तो मैं वे आंकड़े भी बाद में दे सकता हूं। अभी महिलाओं के लिए एक नया निर्णय लिया गया है, जिसको गृह मंत्री जी ने announce भी किया है। सीआईएसफ में पहली बार 33 परसेंट की घोषणा हो गई है। इसके बाद बाकी फोर्स में भी जो border guarding forces हैं, उनमें भी 14 से 15 परसेंट तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आरम्भ कर दिया गया है।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सभापति जी, जो प्रश्न पूछा है, उसका आन्सर नहीं आया है। मैंने 33 प्रतिशत वाला प्रश्न पूछा था, आप कह रहे हैं कि उससे ज्यादा मैरिट में आए हैं। यह कहना है कि हम मैरिट में आए हैं, इसलिए ज्यादा हो गया है, वह अलग चीज़ है। आपने महिलाओं के लिए जो 33 प्रतिशत का रिजर्वेशन कर दिया है, क्या आप उसमें रिजर्वेशन फॉलो करेंगे या नहीं? मेरा प्रश्न यह है कि आप महिलाओं के बीच में जो SC/ST/OBC का रिजर्वेशन है, उसको इसमें फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री किरन रिजिजुः सभापति जी, यह समझने वाली बात है। जब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की percentage है, तो यह विचार, जो आपका दूसरा सवाल है, उसका प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, हमने उसे लागू करके, उससे भी ज्यादा देकर एक कदम आगे बढ़ाया है, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि क्या बाकी में होगा या नहीं होगा, वह है। ...(**व्यवधान**)...

*35. [The questioner (SHRI A. W. RABI BERNARD) was absent]

Ranking of States on ease of doing business

*35. SHRI A. W. RABI BERNARD: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government has asked the World Bank to rank States on the Ease of Doing Business for the next three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the role of Department of Industrial Policy and Promotion in this exercise will be limited only to facilitate the interactions between States and the World Bank; and